झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 4123/2022

1. राकेश कुमार सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता प्रमोद सिंह, निवासी रिक्रिएशन क्लब, आर.जी. कॉलोनी, डाकघर जामाडोबा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
2. इरफान अंसारी, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता मुस्तकीम अंसारी, निवासी एना इस्लामपुर, भगतडीह, डाकघर और थाना झरिया, जिला धनबाद, झारखंड
3. विवेक कुमार, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता गणेश मंडल, निवासी शास्त्री नगर, जामाडोबा, डाकघर जामाडोबा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
4. पिंटू कुमार साव, आयु लगभग 19 वर्ष, पिता कैलाश साव, निवासी जामाडोबा, डाकघर जामाडोबा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
5. मो. जसीमउद्दीन उर्फ जसीमउद्दीन, आयु लगभग 28 वर्ष,पिता महमूद आलम, जो जेलगोरा, डाकघर जेलगोरा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
6. रॉकी गुप्ता, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता गणपत गुप्ता, निवासी शास्त्री नगर, जामाडोबा, डाकघर जामाडोबा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
7. रवि साव, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता गुड्डू साव, निवासी रिक्रिएशन क्लब, आर.जी. कॉलोनी, डाकघर जामाडोबा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
8. अमित यादव, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता अर्जुन यादव, निवासी जामाडोबा, डाकघर जामाडोबा, थाना जोडापोखर, जिला धनबाद, झारखंड
9. तंजील अंसारी उर्फ मो. तंजील अंसारी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी, भगतडीह मोड़, डाकघर और थाना झरिया, जिला धनबाद, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री. पी.के. मुखोपाध्याय, अधिवक्ता
राज्य के लिएः श्री. शैलेन्द्र कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई है, जिसमें 28.06.2017 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यह आदेश जी.आर. मामला संख्या 13/2017 का है, जो झरिया थाना मामला संख्या 02/2017 से उत्पन्न हुआ है। यह आदेश धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 341, 353, 448, 504, और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि 02.01.2017 को सुबह 10:00 बजे, याचिकाकर्ता एक अवैध सभा के सदस्य होने के नाते सह-आरोपी व्यक्तियों और समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर आर.एस.पी. कॉलेज, झरिया के प्राचार्य के कक्ष में घुस गए और सार्वजनिक सेवक प्राचार्य तथा अन्य अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया। उन्होंने प्राचार्य के कक्ष, कॉलेज के काउंटर और कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगाकर उन्हें बलात रोक दिया, जबकि उस समय कॉलेज में इंटरमीडिएट के लिए पंजीकरण और फॉर्म भरने का कार्य चल रहा था। ताले लगाने से पहले, याचिकाकर्ताओं ने प्राचार्य का अपमान किया और उन्हें आपराधिक रूप से धमकाया। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता कॉलेज में ऐसे कार्य करने के आदी हैं, जिससे कॉलेज का माहौल बिगड़ता है। याचिकाकर्ताओं और अन्य द्वारा किए गए अपराधों के परिणामस्वरूप एक छात्र, जिसका नाम राजेश राउत है, का प्रवेश रद्द कर दिया गया क्योंकि धनबाद के उप आयुक्त कार्यालय ने पुष्टि की कि राजेश राउत ने अनुसूचित जाति का सदस्य होने का जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था और उसी जाली प्रमाणपत्र के आधार पर वह कॉलेज में प्रवेश ले पाया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद याचिकाकर्ताओं और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की और न्यायालय ने पुलिस द्वारा जांच के दौरान प्रस्तुत सामग्री के आधार पर उन अपराधों का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं को समन जारी करने का निर्देश दिया।

4. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए किसी भी अपराध को नहीं किया है। घटना के समय याचिकाकर्ता छात्र थे। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह भी कहा गया कि धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त अपराधों का संज्ञान यांत्रिक रूप से लिया है, बिना कानून के उस आदेश का ध्यान किए जो इस न्यायालय की समांतर पीठ द्वारा **अमरेश कुमार धीरज एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** मामले में स्थापित किया गया था, जिसे **2020 1 जेएलजेआर 199** में रिपोर्ट किया गया है, जिसका पैराग्राफ 22 इस प्रकार है:

> *"22. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 190 के तहत संज्ञान लेने का आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने का आदेश एक समग्र आदेश हो सकता है, लेकिन जैसा कि अवलोकन किया गया है, दोनों मामलों में मति का उपयोग अलग होगी। इस मति का उपयोग को आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आदेश यांत्रिक नहीं होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को कम से कम यह उल्लेख करना चाहिए कि व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है और उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्ट्या सामग्री क्या है। उन्हें उन सामग्रियों का मूल्यांकन करते हुए विस्तृत निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जो उनके सामने हैं। यह विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे संज्ञान क्यों ले रहे हैं या प्रक्रिया क्यों जारी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि आरोपित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ न्यूनतम प्रथम दृष्ट्या सामग्री क्या है और संज्ञान लेने के आदेश में प्रथम दृष्ट्या किस अपराध का आरोप लगाया गया है।"*

और यह प्रस्तुत करता है कि धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह विचार करने में असफलता दिखाई है कि याचिकाकर्ताओं और सहआरोपियों द्वारा कौन सा अपराध - किया गया है।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य** मामले के निर्णय द्वारा कवर किया गया है, जिसे **1992 सप्लीमेंट (1) एससीसी 335** में में रिपोर्ट किया गया है । इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि 28.06.2017 को धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो जी.आर. मामला संख्या 13/2017 से संबंधित है और जो झरिया थाना मामला संख्या 02/2017 से उत्पन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 341, 353, 448, 504, और 34 के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया है, उसे रद्द किया जाए और निरस्त किया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक इस प्रार्थना का विरोध करते हैं कि 28.06.2017 को धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो जी.आर. मामला संख्या 13/2017 से संबंधित है और जो झरिया थाना मामला संख्या 02/2017 से उत्पन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 341, 353, 448, 504, और 34 के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने से संबंधित कानून का सिद्धांत मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत मामले में लिए गए संज्ञान से अलग स्थिति में है। इसके बाद यह कहा गया कि रिकॉर्ड में केस डायरी और एफ.आई.आर. दोनों में पर्याप्त सामग्री है, साथ ही मामले की जांच के दौरान गवाहों के बयान भी शामिल हैं; जो केस डायरी और अन्य सामग्रियों में मौजूद हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज किया जाए।

7. दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने **प्रदीप एस. वोडेयर बनाम कर्नाटक राज्य** मामले में कहा है, जिसे **2021 एससीसी ऑनलाईन एससी 1140** में रिपोर्ट किया गया है, जिसका पैराग्राफ संख्या 87, 101 (iii) इस प्रकार है:

> *"87. विशेष न्यायाधीश ने यह ध्यान में रखा कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया, न कि किसी निजी शिकायत के आधार पर। इसलिए, यह मामला अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा (उपरोक्त) के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। <u>विशेष न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान लेने से पहले एफ.आई.आर., गवाहों के बयान और संबंधित दस्तावेजों पर ध्यान दिया। इस संदर्भ में, विशेष न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर दोष देना कि उसने संज्ञान लेने के लिए विस्तृत कारण नहीं दिए या यह नहीं बताया कि मति का उपयोग किया गया है, बहुत दूर की बात होगी</u>। इसलिए, इस मामले के तथ्यों में, संज्ञान लेने का आदेश गलत नहीं है।"*
>
> ***सी.6 'अधिकृत व्यक्ति' और एम आर अधिनियम की धारा.डी.एम.22***
> *101. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, हम अपने निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।*
>
> ***Xxx xxxx xxxxx xxxxx***

(viii) चूंकि विशेष न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया और न कि किसी निजी शिकायत के आधार पर, इसलिए यह विशेष न्यायाधीश के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह एक पूर्ण रूप से तर्कसंगत आदेश जारी करे, यदि यह अन्यथा स्पष्ट हो कि विशेष न्यायाधीश ने सामग्री पर विचार किया है।

Xxxx xxxxx xxxxxx

8. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने **गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा** मामले में कहा है, जिसे **(2019) 20 एससीसी 539** में रिपोर्ट किया गया है, जिसका पैराग्राफ 23 इस प्रकार है:

जहां तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने का संबंध है, मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट, गवाहों के बयान और जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्रित अन्य साक्ष्यों का लाभ होता है। जांच अधिकारी/एसएचओ आवश्यक साक्ष्य एकत्र करता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में और जांच के नियमों के अनुसार की गई जांच के दौरान होता है। इस प्रकार एकत्रित साक्ष्य और सामग्री की छानबीन जांच अधिकारी के स्तर पर की जाती है और उसके बाद चार्जशीट दायर की जाती है। उपयुक्त मामलों में, चार्जशीट दायर करने से पहले लोक अभियोजक की राय भी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार, न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट का लाभ मिलता है, साथ ही उन सामग्रियों का भी जो पुलिस द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के तहत, जब मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है। <u>जब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों में, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी को समन जारी करने का आदेश पारित करना होता है</u>। आरोपी को समन जारी करने का ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट की संतोष पर आधारित होता है, जो पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। <u>पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में, आरोपी को समन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती</u>। यदि चार्जशीट कानून द्वारा प्रतिबंधित हो या जहां अधिकार क्षेत्र की कमी हो या जब चार्जशीट खारिज कर दी जाए या फाइल पर न ली जाए, तो मजिस्ट्रेट को चार्जशीट खारिज करने और उसे फाइल पर न लेने के लिए अपने कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

यह निर्णय दिया गया कि जब कोई न्यायालय पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेता है और न कि किसी निजी शिकायत के आधार पर, तो न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है

कि वह एक पूर्ण रूप से तर्कसंगत आदेश जारी करे, यदि यह अन्यथा स्पष्ट हो कि न्यायालय ने सामग्री पर अपने न्यायिक मति का उपयोग किया है। क्योंकि न्यायालय के पास एफ.आई.आर., गवाहों के बयान और संबंधित दस्तावेजों का लाभ होता है, इससे पहले कि वह अपराध का संज्ञान ले। इसलिए, यह बहुत दूर की बात होगी कि न्यायालय के आदेश को इस आधार पर दोषी ठहराया जाए कि उसने संज्ञान लेने के लिए विस्तृत कारण नहीं दिए या यह नहीं बताया कि उसने न्यायिक मति का उपयोग किया है।

9. अब, मामले के तथ्यों की ओर आते हुए, स्थापित कानून के सिद्धांत के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लिया है और उन्होंने उन सामग्रियों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर उन्होंने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मन की क्रिया का उपयोग किया है।

10. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां 28.06.2017 को धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो जी.आर. मामला संख्या 13/2017 से संबंधित है और जो झरिया थाना मामला संख्या 02/2017 से उत्पन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 341, 353, 448, 504, और 34 के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया है, उसे रद्द किया जाए और निरस्त किया जाए।

11. इस प्रकार, 28.06.2017 को धनबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो जी.आर. मामला संख्या 13/2017 से संबंधित है और जो झरिया थाना मामला संख्या 02/2017 से उत्पन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 341, 353, 448, 504, और 34 के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया गया है, बिना किसी योग्यता के होने के कारण अस्वीकृत की जाती है।

13. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विधिक याचिका खारिज हो जाता है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 दिसंबर 2023
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|